



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-07072026-274225
CG-CG-E-07072026-274225

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3440]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3440]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 25 जून, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 3575(अ).— रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना "खरसिया — नया रायपुर— परमालकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.)" दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निष्पदान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बलौदा बाजार में आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त, अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधिन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलौदा बाजार, जिला— बलौदा बाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़, को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान

करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, तो करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि या रेखांकन एवं अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

“खरसिया – नया रायपुर– परमालकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.)” परियोजना के निर्माण के लिए, बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला का नाम बलौदा बाजार

(राज्य छत्तीसगढ़)

क्रमांक संख्या	तहसील	गाँव का नाम	खसरा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	लवन	ताराशिव	1493	0.032
2			1059	0.0120
3			1753/3	0.008
4			1753/4	0.008
5			1048/1	0.049
6			1048/2	0.029
	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			0.138
7	लवन	अमलकुंडा	960/4	0.036
8			961/1	0.020
9			891/1	0.024
10			42/2	0.202
11			960/2	0.048
12			960/6	0.040
13			1012	0.093
14			129/34	0.016
15			129/35	0.24
16			129/22	0.032
17			129/23	0.136
18			129/24	0.24
19			129/25	0.148
20			129/73	0.068
	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			1.343
21	लवन	मिश्राइनडीह	22/2	0.016
	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			0.016
22	लवन	भदरा	483/9	0.06
23			514/1	0.004
24			824/5	0.068
25			793/2	0.016

क्रमांक संख्या	तहसील	गाँव का नाम	खसरा / प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
			कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	0.148
26	लवन	सुढेली	425/2	0.024
27			195/3	0.008
28			138/1	0.010
29			138/2	0.020
30			138/3	0.008
31			37/2	0.004
32			37/4	0.006
33			67/2	0.004
34			36/2	0.020
35			32/5	0.032
			कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	0.136
36	लवन	बिटकुली	1/28	0.263
37			1/24	0.040
38			35/10	0.010
39			2/5	0.243
			कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	0.556
40	लवन	पनगांव	1852/5	0.012
41			784/2	0.024
42			960/3	0.004
43	लवन	पनगांव	990	0.178
44			1050,1051,1052	0.073
45			505	0.097
			कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	0.388
			सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) = हेक्टेयर	2.725

[फा. सं. डीसीई/सी/आर आई जी/5वीं एवं 6वीं/केएचएस-पीएमएस/20क/9]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 25th June, 2026

Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989

S.O. 3575(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the execution of Special Railway Project, namely construction of “Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa 5th and 6th Line (278 Km)” of South East Central Railway in Baloda Bazar -Bhatapara District in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the Competent Authority namely **Sub Divisional officer (Revenue) Baloda Bazar, Dist.- Baloda Bazar- Bhatapara**, Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of “Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa 5th and 6th Line (278 Km)” of South East Central Railway in Baloda Bazar -Bhatapara District in the state of Chhattisgarh.

Name of District - Baloda Bazar- Bhatapara**(State - Chhattisgarh)**

S.N.	Tehsil	Name of Village	Khasra/Plot No.	Area (In Hectare)
1	Lavan	Tarasiva	1493	0.032
2			1059	0.0120
3			1753/3	0.008
4			1753/4	0.008
5			1048/1	0.049
6			1048/2	0.029
	Total area (in hectares)=			0.138
7	Lavan	Amalkunda	960/4	0.036
8			961/1	0.020
9			891/1	0.024
10			42/2	0.202
11			960/2	0.048
12			960/6	0.040
13			1012	0.093
14			129/34	0.016
15			129/35	0.24
16			129/22	0.032
17			129/23	0.136
18			129/24	0.24
19			129/25	0.148
20			129/73	0.068
	Total area (in hectares)=			1.343

S.N.	Tehsil	Name of Village	Khasra/Plot No.	Area (In Hectare)
21	Lavan	Mishraindih	22/2	0.016
	Total area (in hectares)=			0.016
22	Lavan	Bhadra	483/9	0.06
23			514/1	0.004
24			824/5	0.068
25			793/2	0.016
	Total area (in hectares)=			0.148
26	Lavan	Sudheli	425/2	0.024
27			195/3	0.008
28			138/1	0.010
29			138/2	0.020
30			138/3	0.008
31			37/2	0.004
32			37/4	0.006
33			67/2	0.004
34			36/2	0.020
35			32/5	0.032
	Total area (in hectares)=			0.136
36	Lavan	Bitkuli	1/28	0.263
37			1/24	0.040
38			35/10	0.010
39			2/5	0.243
	Total area (in hectares)=			0.556
40	Lavan	Pangaon	1852/5	0.012
41			784/2	0.024
42			960/3	0.004
43			990	0.178
44			1050,1051,1052	0.073
45			505	0.097
	Total area (in hectares)=			0.388
	Grand total =			2.725

[F. No. DCE/C/RIG/5th & 6th /KHS-PMS/ 20A/9]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Const.)